Historicity Research Journal
Volume 1 | Issue 5 | Jan 2015

ISSN:- 2393-8900

Research Article

डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर के स्त्रियो के उत्थान मे योगदान

अनिल शिवाजी भुरके

संशोधक छात्र , इतिहास विभाग , शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती.

सारांश :

डॉ.भीमराव रामजी आंम्बेडकर एक विश्व स्तर के विधिवेता थे। वे एक बहुजन राजनितीक नेता और एक बौध्द पुनरूत्यानवादी होने के साथ साथ भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भी थे। बाबासाहेब आम्बेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदु धर्म की चतुवर्ण प्रणाली और भारतीय समाज मे सर्वव्यापित जाती व्यवस्था के विरूध्द संघर्ष में बिता दिया। शुद्रो को उनसे उच्च वर्ग के लोग आत्याधिक कष्ट देते थे बाबासाहेब ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए सारा जीवन संघर्ष किया। उन्हे बौध्द आंदोलन को प्रारंभ करणे का श्रेय भी जाता है। डॉ.बाबासाहेब को ''भारतरत्न'' से भी सन्मानित किया गया है। वे विश्व की एक बहुत बडी अबादी के प्रेरणा स्त्रोत है इस लिए उन्हे विश्व भुषण कहना ही उपयुक्त है।

प्रस्तावना :

अस्पृश्यता निर्मुलन और स्त्री दास्य विमोचन, अस्पृश्य के लिए शिक्षा और सांस्कृतिक असमानता का अंत आर्थीक शोषण की मुक्ती, करणे के कार्य डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर ने अपना जीवन अर्पित किया है। डॉ.आम्बेडकर का व्यक्तित्व, विद्वता, संगठन–कौशल्य और प्रभावी नेतृत्व जैसे गुणो का संगम है। इसीलिये वे देश के आधार स्तंभ माने गये है। अस्पृश्यता के निवारण में तथा लाखो अस्पृश्यो में आत्मविश्वास और आत्मशक्ती में उनको जीतनी सफलता मिली है, वह सचमुच भारत के लिए उनकी बडीसेवा है। भारतरत्न बाबासाहेब आम्बेडकर का जीवन अति संघर्षपूर्ण रहा है, और अपने जीवनके संघर्ष कि चमकसेही उन्होनें मानव–सभ्यता के इतिहास में अपना नाम अग्रणी मानवतावादी विश्व नेताओ मे दर्ज करवा लिया।

जीवनपरिचय :–

भीमराव रामजी आंम्बेडकर का जन्म 14 एप्रिल 1891 मे मध्यप्रदेश के इंदुर के पास 'महू' इस गाव में हुआ था। डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर के पिताजी लष्कर विभाग में सुभेदार थे। डॉ.आंबेडकर रामजी मालोजी सपकाल और भिमाबाई की 14 वी और अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो आबावडे नगर जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले मे है, वे हिंदु महार जाती से संबंध रखते थे, जो अछुत कह जाते थे। और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूपसे गहरा भेदभाव किया जाता था। आंबेडकर एल्फिस्टीन रोडपर स्थित गव्हरमेंट हायस्कुल में पहले अछुत छात्र बने। 1907 में मॅट्रीक परीक्षा पास करने के बाद आम्बेडकरने बंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह वों भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गये, 1908 में उन्होंने एलिफिस्टोन कॉलेज में प्रवेश लिया और बडोदा के गायकवाड शासक सयाजीराव तृतीय से संयुक्त राज्य अमेरिकामें उच्च अध्ययनके लिए एक पच्चीस रूपये प्रतिमाह का वजीफा प्राप्त किया। डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकरने बंबई में एलिफिस्टन कॉलेजसे बी.ए.की डिगरी प्राप्त की थी। इ.स.1913 में जनवरी के पहले सप्ताह मे बी.ए.की परिक्षा उत्तीर्ण हुये है। डॉ.आम्बेडकरने न्युयार्क के कोलंबिया युन्व्हरसिटी की एम. ए.की डीग्री 2 जून 1915 में प्राप्त कि थी। आगे पढकर 8 जून 1927 को कोलंबीया विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी.प्रदान की गयी।

भारत सरकार अधिनियम 1991 तयार कर रही। 'साउथ बोरोह' समिती के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान

के तौर पर आम्बेडकर को गवाही देणे के लिये आमंत्रीत किया गया। 1920 मे बंबई मे उन्होने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की सुरवात की, सन 1927 में डॉ.आम्बेडकर ने छुआछुत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन सुरू करने का फैसला किया। उन्होने सार्वजनिक आंदोलनो और जूलसो के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगो के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछुतो को भी हिंदु मंदिरोमें प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। मंत्री मंडळ में अस्पृश्य को अधिकार, स्त्रीपुरूष समानता और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन अर्पण किया था। और इस महान पुरूष का अंतिम 6 डिसेंबर 1956 में देहान्त हुआ।

डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर के महिला उत्थान के कार्य :–

युग पुरूष भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर ने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक तथा महिला उत्थान में अपने सपूंर्ण जीवन को समर्पित किया। स्त्री – पुरूष समानता, जाती निर्मूलन, आर्थिक समता, वर्णश्रेष्ठत्व का धिक्कार करके भारतीय समाज को आधुनिक दिशा देने का महान कार्य किया। डॉ. बाबासाहेब के स्त्री उत्थान के कार्य निचे दिए गये है।

1)स्त्री–पुरूष समानता :–

डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकरने अपने भाषनों मे स्त्रियों कही भी पुरूषोसे कम नही समझा है। अपितु उन्हे अधिक योग्य एवम उत्तरदायी समझा है। उसे पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने को कहा है। सविंधानिक दृष्टी से उसे सम्पती व तलाक के अधिकार के साथ प्रसवकाल मे छुट्टी के विशेष अधिकार दिलाए है। इसलिए डॉ.बाबासाहेब ने अपना जीवन के कुछ पल स्त्रियों के कार्य के लिए खर्च किए है। और स्त्रियों को स्त्रीपुरूष समानता मिला दिया है। महिलाओ ने पुरूषो को दुर्गूणो से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। महिलाओ को समाज में सम्मान का स्थान मिलना चाहिए इस तरह का मार्मीक विचार किया है।

2)महिला शिक्षा :–

आधुनिक भारत में महिलाओं के लिए राजाराम मोहनराय, महात्मा फुले इ.समाजसुधारकोने किया हुआ कार्य आगे डॉ.बाबासोब आंबेडकरने चलाया, सन्मानसे तथा निर्भर होकर महिलाए जीवन जिए इसलिए उन्हे शिक्षा देणा जरूरी है।7 शिक्षा संबंधी अनेक विचार बहुत ही स्पष्ट और सरकारकी जिम्मेदारी कि और संकेत करने वाले है। समाज के सबसे सामान्य, शोषित और अपेक्षित व्यक्ती, स्त्री तक शिक्षा कि सुविधाए पहूँचनी चाहिए, ऐसा इनका आग्रह था। स्त्री उन्नती के साथ समाज की उन्नती होती है, इस विचार के साथ डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर ने स्त्री को शिक्षा दिला ने के हेतु मुल मंत्र दिया, शिक्षित बनो – संघटन बनाओ – और संघर्ष करो। डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर का कहना है, शिक्षा के बिना किसी भी समाज की उन्नती एवंम विकास नही होता है। डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर के मन में स्त्री शिक्षा के प्रति महान आस्था थी।

3)समाज मे नारी को सम्मान का स्थान :–

डॉ.बाबासाहेब ने महास्थान पर 27 सिसम्बर 1927 के दिन स्थापित जाहिर संम्मेलन मे अपने विचारो को स्पष्ट करते हुए कहा है की, परिवार तथा समाज की समस्या स्त्री पुरूष दोनो ने मिलकर सुलझाना चाहिए। सामाजिक समता में महिलाओ कि बडी जिम्मेदारी है। बालक को जन्म देकर माता हि समानता के संस्कार देकर निर्भय तथा जिम्मेदार नागरीक बनाने की अहंम भुमिका निभा सकती है। इस तरह की शिक्षा भी देती है। इसलिए महिलाओं को समाज में सन्मान का स्थान देना चाहिए। महिलाओं को समाज में सम्मान मिले इसलिए सरकार द्वारा कानून मे बदलाव लाये। इस तरह कि विचारधारा बाबासाहेब की थी।

4)बालविवाह निषेध :–

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरने बालविवाह पर आवाज उठाया था। दलित समाज में महिलाओं का विवाह कम उम्र में हि किया जाता था। इसलिए बेटी कि उम्र न होने कारण उन्हे शारीरीक और मानसिक अत्याचार सहन करने पडते थे। शादि करना बडी जिम्मेदारी है इसलिए कम उम्र में शादी न करे। इस विचार को डॉ.बाबासाहेब ने 27 दिसम्बर 1927 के दिन स्थापित जाहिर सम्मेलन में अपने विचारो को स्पष्ट करते हुए कहा है।

5) हिंदु कोड बिल कानून का निर्माण :–

महिलाओ को समाज मे सम्मान मिले इसलिए सरकार द्वारा कानून में बदलाव लाये। इस तरह कि विचारधारा डॉ.बाबासाहेब कि थी। इसीकारणवंश उन्होंने 'हिंदु कोड बिल' का निर्माण करके केंद्रिय विधी मंडळ के सामने 11 अप्रैल 1947 में रखा, इसके अनुसार महिलाओं को उत्पादन का हिस्सा वंश परंपरागत धनसंपत्ती का अधिकार, उपजिविका, विवाह, तलाक, दत्तक, अल्पवयीनो का पालकत्व इ. विषयक अधिकार मिले इस तरह का विचार विमर्श तथा बुध्दी का उपयोग किया। इसका परिणाम 25 सितम्बर 1951 में हिंदु सहिंता विधेयक चौथा कलम पारित हुआ। पुरी तरह से यह संहिता बहूमत के अभाव में पारित नही हुआ फिर भी इसके बाद समय में यह बारी बारी से पारित हुआ।

6) देह विक्रय करनेवाली महिला पर निषेध :–

कामठीपुरा(मुंबई) दि.16 जून 1936 के दिन सम्मेलित सभा में देह विक्रय करनेवाली महिलाओं को सम्मान से अपना जीवन जीने का मशवरा दिया। महिला समाज का गहना है। प्रत्येक व्यक्ती को अपनी पत्नी चरित्रवान चाहिए इस कारण वंश अपने चरित्रपर आच न आने पाये इस तरह का वर्तन करे। देह विक्रय करनेवाली महिलाये यह व्यवसाय छोड दे अन्यथा हमारे स्वयंसेवक यह व्यवसाय बंद करेंगे। इस तरह कि चेतावनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने दि थी।

7) गर्भवती महिलाओंके प्रसुती के अवकास में कानून :–

कंपनी और फॅक्टरी में गए हुए काम करने वाली महिलाओं के बारे में हि डॉ.बाबासाहेब आंम्बेडकर ने कही कानून बनाये है। उसका कहना था की कंपनी एवंम फॅक्टरी काम करने वाली महिलाओं को भी मेहनत करनी पडती है। इसलिए उन्हे भी आराम की जरूरत होती है। इस वजह से डॉ.आम्बेडकर ने नये कानून बनायें थे। हप्ते में एक बार छूट्टी और आठ घंटे की ड्युटी होनी चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को प्रसुती अवकास में छूट्टी मिलनी चाहिए। इसी तरह नयें कानून डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर ने बनाए थे। लेकीन गर्भवती महिलाओं प्रसुती अवकास एवंम सहायता दिलाने का प्रावधान आदि के लिए कठोर कानून बनाए थे।

8) महिला मानवधिकार संबंधी विचार :–

समाज में महिला कि मान – मर्यादा एवं गरिमा को पूनः स्थापित करने तथा उनके उत्थान और कल्याण के लिए अनेक समाज सुधारकों ने प्रयास किया लेकीन बाबासाहेब आम्बेडकरने हि समाज में महिलाओं को भारतीय संविधान के द्वारा समानता का अधिकार दिलाया। संविधान प्रदत्त इसी समानता के अधिकार के फलस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ती के विगत आठ वर्षो में भारतीय महिलाए सशक्तीकरण के मार्ग पर अग्रेसर होती गयी है। अतः वे उनके उत्थान एवं विकास के लिए प्रयत्नशिल हो गये डॉ.बी.विजय भारती के शब्दो में यदापि आम्बेडकर ने नारी स्वतंत्रता के लिए कोई नारा नही दिया तथापि सही अर्थ में उनकी आकांक्षा महिला प्रगती और विकास के लिए ही थी। संविधान–प्रारूप समिती के अध्यक्ष के रूप में डॉ.आम्बेडकर ने संविधान मे महिलाओं को बराबरीका अधिकार तथा दर्जा दिया गया है। समय समय पर और भी कानून बनाये गये है। जिसके कानुनी दृष्टी से महिलाओ की स्थिती मजबुत हुई हैं।

9) अखिल भारतीय दलित महिलाए सम्मेलन :–

अखिल भारतीय दलित महिलाए सम्मेलन के द्वारा नागपूर में महिलाओं को मार्गदर्शन करते समय कहा की महिलाओ तूम खुद मे बदलाव लाने की कोशिष करो। अपने बच्चे को शिक्षा दिलाओं। बच्चो के मन मे शिक्षा के संदर्भ मे महत्वकांक्षा पैदा करो। और वे भविष्यकाल मे महापुरुष बने गे, ऐशी इच्छा इनके मन मे बसावो, और अपना न्युनगंड समाप्त करो। इस तरह डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के माध्यम से दलित महिलाओं को सुधारणे और उनमें आत्मविश्वास लाने के लिए सम्मेलन बनाया था। डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर का कहना है की, अगर महिलाओं का विकास नही किया तो समाज का विकास नही होता है। इसलिए ऐसा लगता है की, अखिल भारतीय महिंलाए सम्मेलन महिलाओं के उन्नती के लिय था।

निष्कर्ष :–

डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर के सभी विचार एवं कार्य महिला सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकी उन्होने महिलाओं के सर्वांगीन विकास को महत्व दिया है। डॉ.आम्बेडकर नाही संगठन के प्रबल पक्षधर थे। उनका नारी शक्ती मे अटूट विश्वास था और उनकी मान्यता थी की, यदि वह निश्चय कर ले ते तो समाज की अधिकाश बुराईया आसानी से दुर हो सकती है, और समाज सुधार के बहूत सारे कार्य सुगमतापुर्वक हो सकते है। नारी उत्थान के लिए

बाबासाहेब ने जीवन भर के लिए और घोर संघर्ष किया और नारी उध्दार के लिए भारतीय नारी कि स्वतंत्रता, भारतीय नारी की समानता भारतीय नारी की संम्पत्ती का अधिकार दिलाने का प्रयास, विधवा विवाह, बालविवाह निषेध, गर्भवती महिलाओ को प्रसुती अवकाश एवं सहायता दिलाने का प्रावधान आदि के लिए कठोर संघर्ष किया।

संदर्भ ग्रंथ सुची

१) तांबोळी - प्रभावशाली शिक्षणतज्ञ - प्रथमावृत्ती २००६.
२) गायकवाड - महामानव - रिया पब्लिकेशन कोल्हापूर प्रकाशन २०१३.
३) डॉ.कुसूम पटोरिया - युग प्रणेता आम्बेडकर प्रथम संस्करण १९९४.
४) मुन वसंत और नरके हरि - डॉ.बाबासाहेब यांचे भाषणे खंड १८ भाग १.
५) डॉ.सूर्यनारायण रणसुभे - डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर, प्रथम संस्करण १९९२.
६) www./wikipedia.com.
७) कुमारसिंह, जिवितेश - आम्बेडकर चिंतन रेगल पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
८) भारत वाघमारे - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि हिंदु कोड बिल, - प्रबुध्द भारत पुस्तकालय आणि प्रकाशन व्यवसाय नागपूर द्वितीय आवृत्ती २०१४.